

हनुमानगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :-.....16/12/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.एस.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 4 बीआरपी भाखड़ा के खाता सं. 82 के प.नं. 8/360, 9/360 की कुल 6.325 हैक्. मे से 1917/5750 हिस्सा व खाता सं. 4 के प.नं. 8/360 की कुल 0.544 हैक्. मे से 1/3 हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3
(सहस्रमिस्त्र एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

